

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)  
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57/अपील/2019	10.07.2019	30.09.2019
1. राकेश आ. नन्दकिशोर जाति कलाल निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)		
2. विकास आ. नन्दकिशोर जाति कलाल निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)		— अपीलांटस
	— बनाम —	

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)  
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2019

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक।  
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार।

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1159 रकबा 05 बीघा, किस्म सिवायचक वाके ग्राम लोधा की झोपडिया तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल जप्ती से बेदखली, पैनाल्टी 625/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटस को साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलान्टस का कोई विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है कोई राजस्व बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को द्वितीय अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्टस

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये जाकर अपीलान्टस को 90 दिवस की कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्टस पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्टस ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्टस बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्टस को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्धीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्टस पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्टस विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्टस ने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बूंदी (राज०)